-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 07.09.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना जसपुरा पुलिस द्वारा मामूली विवाद में महिला की धारदार हथियार से हत्या करने वाले मृतका के देवर व भतीजे को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्तों के कब्जे में अवैध तमंचा बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना जसपुरा पुलिस द्वारा मामूली विवाद में महिला की धारदार हथियार से वारकर हत्या करने वाले मृतका के देवर व भतीजे को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि दिनांक 04.09.2026 को थाना जसपुरा क्षेत्र के ग्राम बरेहटा के रहने वाले राजबहादुर ने थाना जसपुरा पर सूचना दी कि उनके सगे भाई व भतीजे ने मामूली विवाद को लेकर उनकी पत्नी गीता को धारदार हथियार के मारकर गम्भीर रुप से घायल कर दिया जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई तथा वह और उसका लड़का अनिल भी घायल हो गया है। जिसके सम्बन्ध में तत्काल थाना जसपुरा में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 07.09.2026 को थाना जसपुरा पुलिस द्वारा हत्या की घटना को अंजाम देने वाले मृतका के देवर व भतीजे को गौरीकलां मार्ग से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों की निशादेही पर हत्या की घटना में प्रयुक्त हंसिया भी बरामद किया गया है।

बरामदगी-

- 01 हंसिया (हत्या की घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. रामबहादुर पुत्र मइयादीन निवासी बरेहटा थाना जसपुरा जनपद बांदा।
2. राजू उर्फ राजेन्द्र पुत्र शिवलोचन निवासी बरेहटा थाना जसपुरा जनपद बांदा।

पजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 149/26 धारा 3(5)/191(2)/191(3)/190/118(1)/109(1)/103(1)/333/115(2)/352/351(2) बीएनएस थाना जसपुरा जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री ऋषिदेव सिंह प्र0नि0 थाना जसपुरा
2. कां0 दिलीप कुमार
3. कां0 अनेन्द्र
4. म0कां0 आरती गुप्ता